झारखण्ड सरकार

निविदा की आवश्यक शर्तें

1. प्राक्कलित राशि एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट–बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि ही मान्य होगी।
2. पथ निर्माण विभाग,~~लघु सिंचाई विभाग~~, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड सरकार राँची में निबंधित समुचित श्रेणी के संवेदक ही निविदा के पात्र होंगे। साथ ही उनका निबंधन अद्यतन एवं वैध होना चाहिए। पथ निर्माण विभाग के निबंधित संवेदको को निविदा कागजातों के साथ पथ निर्माण विभाग से निर्गत कार्यादेश पंजी की स्वअभिप्रमाणित भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 8/6 वर्षीय एन०एस०सी०, F.D.(तीन वर्षीय), जो कार्यपालक अभियंता एन०आर०ई०पी० गोड्डा के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञित हो, ही स्वीकार्य होगा।
4. निविदा के साथ अद्यतन आयकर सफाया प्रमाण पत्र, वाणिज्य करजी०एस०टी० निबंधन एवं सफाया प्रमाण प.सफाया प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, श्रम निबंधन प्रमाण पत्र एवं संवेदक निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, तकनीकी विशेषज्ञता इत्यादि की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।निविदादाता कोनिबंधन प्रमाण पत्र के साथ ucan certificateका स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही निविदा के साथ ऊपर वर्णित कागजातों के अतिरिक्त यंत्र–सयंत्र के स्वामित्व/लीज /हायर संबंधित कागजात (इन यंत्र–सयंत्र के चालू स्थिति का शपथ पत्र के साथ) एवं अन्य आवश्यक कागजात की प्रति (स्व–अभिप्रमाणित) समर्पित करना होगा।
5. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
6. झारखंड लघु खनिज श्रमनुदान नियमावली 2004 के नियम –55 के तहत विकास/निर्माण कार्यो में उपयोग मे लाये जाने वाले लघु खनिज वैध खनन पट्टेधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से क्रय कर लिया जाना है। तथा उक्त नियमावली के उप नियम –'1' के तहत संवेदक द्वारा व्यवहार में लाये गये लघु खनिज के विरूद्ध प्रपत्र– 'ओ' एवं 'पी' कार्य विभाग को दाखिल करेंगे, जिसका सत्यापन खनन कार्यालय से कराना अनिवार्य है।
7. निविदादाताओं को निविदा के साथ विगत तीन वर्षो में किये गये कार्यों के विवरण का स्व–अभिप्रमाणित अनुभव/भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा।
8. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि को अगर अवकाश घोषित होता/रहता है, तो अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जाएगी।
9. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तें एकरारनामा के अंग होंगे।
10. निविदादाता स्वंय कार्यस्थल का निरीक्षण कर स्थिति देख लें एवं स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में भाग लें। कार्यस्थल परिवर्तित हो सकता है, इस संबंध में उपायुक्त, गोड्डा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
11. आवंटन की उपलब्धता रहने पर ही विपत्रों का भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
12. कार्य में लगने वाले निर्माण सामग्री यथा छड़, सिमेंट, चिप्स इत्यादि विशिष्टियों के अनुरूप कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करना है, विभाग से कोई भी सामग्री/उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
13. सशर्त एवं अस्पष्ट निविदा अमान्य होगा।
14. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर एकरारनामे की कंडिका के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्यावधि विस्तार की स्वीकृति विशेष परिस्थिति में वैध कारणों पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ही दी जायेगी।

15. जिस संवेदक का इस प्रमंडल में पूर्व से आवंटित कोई कार्य अगर लंबित है, अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, तो उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. संवेदक का श्रम अधीक्षक कार्यालय से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के तह्त निबंधित होना आवश्यकहै।

17. विशेष सूचना एवं निविदा से संबंधित जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस/कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है।

18. अधोहस्ताक्षरी एवं सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताए किसी एक या सभी कार्यों की निविदा को रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

19. संवेदक के विपत्र से आयकर, बिक्री कर, रॉयलटी, जी०एस०टी०,रैभन्यु आदि के अलावा सरकार के आदेशानुसार 01 (एक) प्रतिशत मजदूर उपकर हेतु कटौती होगी।

20. परिमाण विपत्र में दर्शाए गए दर से 10% (दस प्रतिशत) निम्न दर तक ही निविदा मान्य होगा।

21. संवेदक द्वारा कार्य करने के दौरान गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने में होने वाला व्यय संवेदक को स्वंय वहन करना होगा।

22. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल एवं सामग्री के श्रोतों की पूरी जानकारी सुनिश्चित कर लेगें।

23. किसी प्रकार की दर बढ़ोतरी (Price Escalation)मान्य नहीं होगा।

24. सफल निविदादाता को निविदा के निष्पादन के 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कर लेना आवश्यक होगा, अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त करते हुए दुसरे न्युनतम दर निविदादाता के नाम कार्य आंवटित करने हेतु अनुशंसित कर दिया जायेगा।

25. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक का रा०ग्रा०नि०कार्य०, गोड्डा या किसी भी विभाग में कोई भी कार्य तय एकरारनामा अवधि के छह 6 माह उपरांत भी लंबित नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।

26. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा।

27. एकरारनामा के समय वर्क प्रोग्राम (बार चार्ट) देना होगा तथा वर्क प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य की प्रगति सुनिश्चित करना होगा।

28. कार्य समाप्ति के बाद कार्य का त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि (Deffect Liability Period)एक वर्ष का होगा।

29. निविदा Percentage Rate Contractपर आधारित होगा।

30. संवेदक अपने खर्च पर कार्य स्थल पर सम्बन्धित योजना का सूचना–पट्ट लगाना सुनिश्चित करेंगे। सूचना–पट्ट पर योजना के प्राक्कलन से संबंधित सारी जानकारी अंकित करना होगा तथा विस्तृत प्राक्कलन की एक प्रति भी कार्य स्थल पर उपलब्ध रखना होगा ताकि स्थल निरीक्षण के समय देखा जा सके। सूचना पट्ट में 1. योजना मद 2. योजना का नाम 3. कार्यकारी एजेन्सी, 4. संवदेक का नाम, 5. योजना की प्राक्कलित राशि, 6. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 7. कार्य समाप्ति की तिथि 8. मजदूरी दर 9. वित्तीय वर्ष :– 2017–18 10. एकरारित राशि 11. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित कालावधि अंकित करना होगा।

31. (क) योजना प्रांरम्भ करने के पूर्व विभिन्न कोनों से कार्य स्थल की स्टील फोटोग्राफी भी कराई जाय।
(ख) कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में योजना की कम से कम दो स्टील फोटोग्राफी कराई जाय।
(ग) कार्य पूर्ण होने पर योजना की स्टील फोटोग्राफी कराकर सभी फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

कार्यपालक अभियंता
एन०आर०ई०पी०, गोड्डा